



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235099
CG-DL-E-13042022-235099

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1707]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2022/चैत्र 22 1944

No. 1707]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2022/CHAITRA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2022

का.आ. 1794(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 777(अ) तारीख 17 फरवरी 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 142.400 से 212.100 कि.मी. (गुडगांव - कोटपूतली -जयपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/ छः लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 26 फरवरी 2022 को “राजस्थान पत्रिका” और “दैनिक भास्कर” में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ

की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 142.400 से कि.मी. 212.100 तक (गुडगांव - कोटपूतली -जयपुर सेक्शन) लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: जयपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कोटपूतली				
	गांव का नाम: बासडी				
1	1128	निजी	वाणिज्यिक	0.0039	नगरपालिका मण्डल कोटपूतली हितधारी व्यक्ति पुष्पा पत्नी राधेश्याम जाति महाजन निवासी मौहल्ला बूचाहेडा कोटपूतली (1128)
			कुल	0.0039	

[फा. सं. NHAI/MC-II/Phase-V/LA/Jaipur/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2022

S.O. 1794(E).— Whereas by the notification of the government of India in the ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 777(E) dated 17th February 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-Section(ii) issued under sub-section(1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act,) the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said Notification for building (widening/six lining, etc.), maintenance, management and operation of national highway No. 8 on the stretch of land from km 142.400 to 212.100 (Gurgaon –Kotputli-Jaipur section) in District Jaipur in the State of Rajasthan.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rajsthan Patrika” and Dainik Bhaskar” both dated 26th February 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objection have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3 D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the central Government;

Now, therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the central Government here by declares that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose; and further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the central Government here by declares the on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrance.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 142.400 to km. 212.100 (Gurgaon-Kotputli-Jaipur Section) of the National Highway No. 8 in the State of Rajasthan.

State: RAJASTHAN			District: JAIPUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kotputli				
	Village: Basdi				
1	1128	Private	Commercial	0.0039	Nagarpalika Mandal Kotputli Owner Name :- Puspa W/o Radheshyam Cast Mahajan sakin Mohlla Buchahera Teh. Kotputli 1128
			TOTAL	0.0039	

[F.No. NHAI/MC-II/Phase-V/LA/Jaipur/3D2]

RAJESH GUPTA, Director